

प्रेस नोट दिनांक 25.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद कर अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त संतोष यादव को क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, नाबालिग अपहृता सकुशल बरामद-

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी ग्राम गोविंदपुर थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार दिनांक 21.06.2026 को उनकी पुत्री को थानाक्षेत्र का निवासी संतोष यादव पुत्र राममिलन यादव बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। इस संबंध में अन्तर्गत धारा 137(2), 87 बी.एन.एस. बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में 30नि0 दीपक कुमार मय हमराह का० नितीश यादव, रि0म0का0 रोली पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2), 87 बी.एन.एस. थाना लालगंज से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र राममिलन यादव निवासी ग्राम इदिलपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

अभियुक्त संतोष यादव ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 21.06.2026 की शाम को वादिनी की पुत्री को मैं शादी करने के लिये उसके घर से भगा कर झारखण्ड गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संतोष यादव पुत्र राममिलन यादव निवासी ग्राम इदिलपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

30नि0 दीपक कुमार मय हमराह का० नितीश यादव, रि0म0का0 रोली पाण्डेय थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ०नि० अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे०का० शत्रुजय शर्मा व का० नविन गौतम के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, माननीय न्यायालय प्रतापगढ़ महोदय द्वारा जारी केस सं० 807/2026 अ०सं० 410/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा केस संख्या 36/2019 मु०अ०सं० 411/2019 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट से संबंधित वारण्टी 01. मुन्ना शर्मा पुत्र किशोरी लाल निवासी लोका का पुरवा मोहनगंज थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोहनगंज बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मुन्ना शर्मा पुत्र किशोरी लाल निवासी लोका का पुरवा मोहनगंज थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे०का० शत्रुजय शर्मा व का० नविन गौतम थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने वाले आरोपी को फतनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा पीड़िता का गर्भपात कराने के आरोप में वांछित अभियुक्त मनीष यादव को थाना फतनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त मनीष यादव को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत तारडीह प्राइमरी स्कूल, केवरा कला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी ग्राम केवरा कला, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया है कि विपक्षी मनीष यादव निवासी जनपद जौनपुर ने सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) के माध्यम से संपर्क स्थापित कर विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वादिनी के अनुसार गर्भवती होने पर विपक्षी द्वारा उसे एक निजी अस्पताल ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराया गया तथा बाद में विवाह करने से इंकार करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना फतनपुर में अन्तर्गत धारा 69/89/115(2)/352/351(3) B.N.S व धारा 3(1)द व 3(1)ध, 3(2)v SC/ST ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह का0 सुजीत यादव व रि0का0 यशवंत कन्नौजिया द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/89/115(2)/352/351(3) B.N.S व धारा 3(1)द व 3(1)ध, 3(2)v SC/ST ACT थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मनीष यादव सुत श्याम बहादुर यादव निवासी ग्राम गोठांव थाना बरसठी जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष थाना क्षेत्रान्तर्गत तारडीह प्राइमरी स्कूल केवरा कला के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मनीष यादव सुत श्याम बहादुर यादव निवासी ग्राम गोठांव थाना बरसठी जनपद जौनपुर उम्र करीब 25 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह का0 सुजीत यादव व रि0का0 यशवंत कन्नौजिया थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त महेश यादव को थाना क्षेत्रान्तर्गत मानिकपुर से लालाबाजार जाने वाली सड़क पर हिल्ला चौराहा के आगे ब्रह्म बाबा के स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में निरीक्षक श्री रामवृक्ष यादव मय हमराह उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल व का संजीव कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64 (1)/333/351 (3) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त महेश यादव पुत्र रामदेव यादव नि0 चैनी काका पुरवा बडेरा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ थाना क्षेत्रान्तर्गत मानिकपुर से लालाबाजार जाने वाली सड़क पर हिल्ला चौराहा के आगे ब्रह्म बाबा के स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि दिनांक 22.06.2026 को सुबह मैं अपने गाँव की वादिनी के घर मे घुसकर उसके साथ जबरदस्ती गलत कार्य किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- महेश यादव पुत्र रामदेव यादव नि0 चैनी काका पुरवा बडेरा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री रामवृक्ष यादव मय हमराह उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल व का संजीव कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा वांछित वारंटियों की धर-पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:

थाना लालगंज के उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का रविन्द्र चौधरी, रि0का0 शिवम गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं तलाश वांछित वारंटी के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया: 01. विकास पुत्र भरत उम्र 20 वर्ष नि०ग्राम पूरे बक्तावर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
संबंधित मामला: परिवाद सं0 1960/20 धारा 115 (2),76 बीएनएस थाना लालगंज प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का रविन्द्र चौधरी, रि0का0 शिवम गौड़ थाना लालगंज, प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 मनोज राय मय हमराह हे का0 दीपक कुमार दुबे के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेशल कोर्ट प्रतापगढ़ महोदय द्वारा मु0अ0सं0 168/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हथिंगवा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी 01. मोहतसिम उर्फ छोटू पुत्र मुश्तकीम निवासी ग्राम रहबई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मोहतसिम उर्फ छोटू पुत्र मुश्तकीम निवासी ग्राम रहबई थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

पुलिस टीम-

उ0नि0 मनोज राय मय हमराह हे का0 दीपक कुमार दुबे थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।